संख्या-04/2026/ 41 /क0नि0प्र0/26-3-2026-1672195

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊःदिनांकः 09 फरवरी, 2026
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के फलस्वरूप दिए जाने वाले मुआवजा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-01/2026/477/क0नि0प्र0/26-3-2025-1672195 दिनांक 05 जनवरी,2026(प्रति संलग्न)का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 की विभिन्न धाराओं के प्राविधानों व संगत नियमों का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने, ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-65/पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026 दिनांक 06 फरवरी,2026 (प्रति संलग्न) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित Writ-C No. 40179/2025 Smt. Geeta Devi Vs.The State of U.P. & Ors.में पारित मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02 फरवरी, **2026** के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह के भीतर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02 फरवरी, 2026 के मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

"……

2. There is a letter of Chief Secretary dated 5.1.2026 addressed to Additional Chief Secretary/Special Secretary,industrial Development Department, Additional Chief Secretary/Special Secretary, Urban Development Department, Additional Chief Secretary/Special Secretary, Panchayati Raj Department and all District Magistrates of Uttar Pradesh to ensure compensation under provisions of The Prohibition of employments as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. It apperars that till date no action is taken by the concerned Secretaries.

3. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State prays for and is granted time to seek written instructions from the Chief Secretary about the action taken by the concerned secretaries.

4. Put up as fresh on 16.2.2026."

3- इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-59/पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026 दिनांक 30 जनवरी,2026(प्रति संलग्न) द्वारा सुश्री योगिता स्वरूप, सीनियर इकॉनामिक एडवाइजर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2026 (प्रति संलग्न)का संदर्भ देते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 20 जनवरी,2026 के अनुपालन में नियत समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

4- प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में यह भी सूच्य है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित Writ Petition (Civil) No. 324/2020 Dr.Balram Singh Vs. Union of India में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा सीवर डेथ के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि रू0 30.00 लाख मात्र निर्धारित की गयी थी, परन्तु विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा विविधतापूर्ण मत व्यक्त किये जाने के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल इन्टरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2026 पारित किया गया है, जिसके मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"(i) It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.

(ii) In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.

(iii) In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants."

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर,2023 एवं दिनांक 20 जनवरी, 2026 के अनुपालन में सीवर डेथ के मुआवजे से संबंधित लंबित मामलों में भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से समाज कल्याण विभाग को अवगत कराये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-03/2026/38/क0नि0प्र0/26-3-2026-1672195 दिनांक 05 फरवरी, 2026 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक 05 फरवरी,2026 एवं Writ-C No. 40179/2025Smt. Geeta Devi Vs.The State of U.P. &Ors.में पारित मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02 फरवरी, 2026 के अनुपालन में सीवर डेथ के मुआवजे से संबंधित लंबित मामलों में भुगतान की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

एल0 वेंकटेश्वर लू
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।
2. सचिव,राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, बी,विंग,चतुर्थ तल,लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय एवं पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.बी-912,सेक्टर-सी,महानगर, लखनऊ।
8. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9. समस्त उप निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जया सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या: 0522-2289212, 2289296, फैक्स-2239283
email-csup@nic.in

संख्या: 65 /पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026
दिनांक: 06 फरवरी, 2026

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग
प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

कृपया मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित **Writ-C No. 40179/2025 Smt. Geeta Devi Vs. The State of U.P. & Ors.** में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेश **दिनांक 02 फरवरी, 2026** (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ करने का कष्ट करें।

2. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरिसन्दर्भित आदेश दिनांक 02 फरवरी, 2026 के मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैं:

"……

2. There is a letter of Chief Secretary dated 5.1.2026 addressed to Additional Chief Secretary/Special Secretary, Industrial Development Department, Additional Chief Secretary/Special Secretary, Urban Development Department, Additional Chief Secretary/Special Secretary, Panchayati Raj Department and All District Magistrates of Uttar Pradesh to ensure compensation under provisions of The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. It appears that till date no action is taken by the concerned Secretaries.

3. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State prays for and is granted time to seek written instructions from the Chief Secretary about the action taken by the concerned Secretaries.

4. Put up as fresh on 16.2.2026."

3. उक्त के सम्बन्ध में, मुख्य सचिव महोदय द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02 फरवरी, 2026 के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर **एक सप्ताह के भीतर** कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक: यथोक्त।

(रवीन्द्र कुमार)
06.02.2026
विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर,
O/C मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

संख्या एवं दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
3. जिलाधिकारी, मथुरा, उ०प्र०।

06.02.2026
(रवीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर,
मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 40179 of 2025

Smt Geeta Devi

.....Petitioner(s)

Versus

The State Of U.P. And 4 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Akash Balmik
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Harsh Vardhan Gupta

Court No. - 4

HON'BLE NEERAJ TIWARI, J.
HON'BLE GARIMA PRASHAD, J.

1. Sri Rajiv Gupta, learned Additional Chief Standing Counsel for the State has filed personal affidavit of District Magistrate, Mathura pursuant to the order dated 8.12.2025. The same is taken on record.

2. There is a letter of Chief Secretary dated 5.1.2026 addressed to Additional Chief Secretary/Special Secretary, Industrial Development Department, Additional Chief Secretary/Special Secretary, Urban Development Department, Additional Chief Secretary/Special Secretary, Panchayati Raj Department and All District Magistrates of Uttar Pradesh to ensure compensation under provisions of The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013. It appears that till date no action is taken by the concerned Secretaries.

3. Learned Additional Chief Standing Counsel for the State prays for and is granted time to seek written instructions from the Chief Secretary about the action taken by the concerned Secretaries.

4. Put up as fresh on 16.2.2026.

(Garima Prashad,J.) (Neeraj Tiwari,J.)

February 2, 2026
Sachin Mishra

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-03/2026/38/क0नि0प्र0/26-3-2026-1672195

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊःदिनांकः 05 फरवरी , 2026
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के फलस्वरूप दिए जाने वाले मुआवजा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-01/2026/477/क0नि0प्र0/ 26-3-2025-1672195 दिनांक 05 जनवरी,2026(प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act,2013 की विभिन्न धाराओं के प्राविधानों व संगत नियमों का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने, ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-59/पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026 दिनांक 30 जनवरी,2026 (प्रति संलग्न) द्वारा सुश्री योगिता स्वरूप, सीनियर इकॉनामिक एडवाइजर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक **29** जनवरी, **2026**(प्रति संलग्न) का संदर्भ देते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 20 जनवरी,2026 के अनुपालन में नियत समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस संबंध में अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित **Writ Petition (Civil) No. 324/2020 Dr. Balram Singh Vs. Union of India** में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के दिनांक **20** अक्टूबर, **2023** द्वारा सीवर डेथ के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि रू0 30.00 लाख मात्र निर्धारित की गयी थी, परन्तु विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा विविधतापूर्ण मत व्यक्त किये जाने के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल इन्टरिम एप्लीकेशन

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

पर सुनवाई करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक **20** जनवरी, **2026** पारित किया गया है, जिसके मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

> **"(i) It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.**
>
> **(ii) In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.**
>
> **(iii) In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants."**

4- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर,2023 एवं दिनांक 20 जनवरी,2026 के अनुपालन में सीवर डेथ के मुआवजे से संबंधित लंबित मामलों में भुगतान की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 04-02-2026
14:15:10

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।
2. सचिव,राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार, बी,विंग,चतुर्थ तल,लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

3. आयुक्त, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय एवं पंचायतीराज विभाग,उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.बी-912,सेक्टर-सी,महानगर, लखनऊ।
8. समस्त उप निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ
दूरभाष संख्या: 0522-2289212, 2289296, फैक्स-2239283
email-csup@nic.in

संख्या: 57 /पी.एस.एम.एस./एस.ओ./2026
दिनांक: 30 जनवरी, 2026

अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग
प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग

कृपया मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित **Writ Petition (Civil) No. 324/2020 Dr. Balram Singh Vs. Union of India** में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश **दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 व दिनांक 20 जनवरी, 2026** में निर्गत निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में सुश्री योगिता स्वरूप, सीनियर इकॉनामिक एडवाइजर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईमेल से प्रेषित पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के उपरिसन्दर्भित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 द्वारा सीवर डेथ के प्रकरणों में मुआवजे की धनराशि रूपया तीस लाख मात्र निर्धारित की गई थी परन्तु विभिन्न मा० उच्च न्यायालयों द्वारा विविधतापूर्ण मत व्यक्त किए जाने के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल इन्टरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20 जनवरी, 2026 पारित किया गया है, जिसके मुख्य क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैं:

"(i) It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.
(ii) In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.
(iii) In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants."

3. उक्त के सम्बन्ध में, मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गई है कि कृपया मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 एवं दिनांक 20 जनवरी, 2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित संलग्न पत्र की अपेक्षा के क्रम में नियत समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

30.01.2026
(रवीन्द्र कुमार)
विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर,
मुख्य सचिव
उ० प्र० शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

YOGITA SWAROOP, IES
Sr. Economic Adviser
Tel. : +91-11-23070094
Fax : +91-11-24369838
E-mail : yogita.swaroop@gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
PANDIT DEENDAYAL ANTYODAYA BHAWAN,
C.G.O. COMPLEX, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

DO No. U-12012/1/2023-PLAN-Part(4)

Dated: 29.01.2026

Dear Sir/Madams,

As you may be aware Hon'ble Supreme Court of India vide order dated 20.10.2023 in Writ Petition (Civil) No. 324 of 2020 filed by Dr. Balram Singh Vs Union of India and Ors passed a series of directions, including following, for compliance:-

> *"The court hereby directs the Union and the States to ensure that the compensation for sewer deaths is increased (given that the previous amount fixed, i.e., ₹10 lakhs) was made applicable from 1993. The current equivalent of that amount is Rs. 30 lakhs. This shall be the amount to be paid, by the concerned agency, i.e., the Union, the Union Territory or the State as the case may be. In other words, compensation for sewer deaths shall be ₹ 30 lakhs. In the event, dependents of any victim have not been paid such amount, the above amount shall be payable to them. Furthermore, this shall be the amount to be hereafter paid, as compensation".*

2. Keeping in view the divergence views expressed by different High Courts, National Legal Services Authority (NALSA) filed IA for clarification as the quantum of compensation payable. Hon'ble Court vide order dated 20.01.2026 disposed of the IA filed by NALSA with following clarification:-

i. *It is made clear that insofar as the compensation ordered, determined and paid namely, Rupees Ten Lakhs to the legal representatives of the victim as on date of judgment viz., 20.10.2023, such cases or claims would not be reopened.*
ii. *In case, the sewer death having taken place even prior to this Court order dated 20.10.2023 if compensation has not been paid or determined as on the date of the judgment, i.e., 20.10.2023, the concerned States or municipal authorities would be required to pay a sum of Rupees Thirty Lakhs to such of those claimants.*
iii. *In the event of compensation having not been determined or paid in respect of deaths having occurred prior to our judgment dated 20.10.2023, the concerned would be liable and required to pay compensation of Rupees Thirty Lakhs to such of the claimants.*

3. I shall be obliged if you kindly look into the matter personally and issue necessary directions to the concerned authorities to ensure compliance of Hon'ble Supreme Court order dated 20.10.2023 and 20.01.2026 in so far as payment of compensation to the legal heirs of deceased is concerned.

With Regards.

ACS (Social Welfare)/
PS (Urban Dev.)

Yours sincerely,

(Yogita Swaroop)

To

Chief Secretaries of all States/UTs.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

[Chiefsecretaries] DO letter reg. Hon'ble Supreme Court order dated 20.10.23 in WP (C) No. 324 of 2020 filed by Dr. Balram Singh Vs UOI & Ors for payment of compensation to the legal heirs of deceased

---

Ms Yogita Swaroop < yogita.swaroop@gov.in >
Thu, 29 Jan 2026 1:31:41 PM +0530

To "chiefsecretaries"<chiefsecretaries@lsmgr.nic.in>
Cc "R.K. Khandelwal"<secy-ncsk@gov.in>

Dear Sir/Madam (s),

Pls find attached herewith DO letter on the subject cited above for necessary action.

With Regards,

Yogita Swaroop
Sr. Economic Adviser
Department of Social Justice & Empowerment
B-2 Ground Floor,
Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, New Delhi-110003
Tel. 011-24369835

---

1 Attachment(s)

DO Letter Dated 29.01.2026.pdf
1 MB

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 01/2026/ 477 /क0नि0प्र0/26-3-2025-1672195

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव
औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव
पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2026
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु/ दिव्यांगता के फलस्वरूप दिए जाने वाला मुआवजा।

महोदय,

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 प्रदेश में लागू है। अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के समय-समय पर पारित आदेशों के प्रभावी अनुपालन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा पार्श्वांकित शासनादेश निर्गत करते हुए नगर विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं अन्य सम्बन्धित से कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

1. 108/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 10 फरवरी, 2014
2. 386/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 21 मार्च, 2014
3. 744/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 09 जून, 2014
4. 934/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 08 जुलाई, 2014
5. 540/ क0नि0प्र0/26-3-2014-5(94)/2005 दिनांक 09 सितम्बर, 2014
6. 1553/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014
7. 1629/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(60)/2013 दिनांक 05 दिसम्बर, 2014
8. 12एम0एस0/क0नि0प्र0/26-3-2018-17(47)/2017 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018
9. 1008/ क0नि0प्र0/26-3-2023- दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का समुचित अनुपालन न होने के कारण भारत सरकार द्वारा पत्र निर्गत किए गए हैं।

2- The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की धारा-7 के अन्तर्गत सीवर अथवा सैप्टिक टैंक की परिसंकटमय सफाई (Hazardous Cleaning) हेतु किसी व्यक्ति की सेवाएं लिए जाने को प्रतिबन्धित किया गया है। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1330/KNP/ 26-3-2014-13(60)/ 2013 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 निर्गत करते हुए दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 की तिथि से उक्त प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 583/2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के सम्बन्ध में योजित अवमानना वाद (सी) संख्या 132 ऑफ 2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2014 को आदेश पारित करते हुए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को निम्न निर्देश दिए गए हैं –

"... (iii) Identify the families of all persons who have died in sewerage work (manholes, septic tanks) since 1993 and award compensation of Rs. 10.00 Lakhs for each such death to the family members depending on them. ..."

4- रिट याचिका (सिविल) संख्या 324/ 2020 डा0 बलराम सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को आदेश पारित करते हुए केन्द्र सरकार को निर्देशित किया गया है कि Manual Scavenging को पूर्णतया समाप्त करने के लिए उपाय किए जाएं, नीतियां बनाई जाएं तथा सभी सम्बन्धित को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 में यह निर्देश भी दिए गए हैं कि संघ द्वारा बनाई गई नीतियों और गाइडलाइन्स का अनुपालन सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाए तथा संघ सरकार, राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सीवर डैथ के मामलों में रू0 30.00 लाख, स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में रू0 20.00 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में रू0 10.00 लाख की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जाए। पुनः रिट याचिका (सिविल) संख्या 905/2025(PIL-W) के साथ रिट याचिका (सिविल) संख्या 324/2020 डा0 बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में सुनवाई करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 एवं 19 नवम्बर, 2025 को आदेश पारित किए गए हैं:-

<u>आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2025</u>

"1. This court having already passed an order for payment of compensation and the issue regarding the quantum, namely, whether Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) or Rs. 30,00,000/- (Rupees Thirty Lakhs) is to be paid is an issue which is at large. We find no reason for the concerned States including the UTs as well as NCT to make the payment of Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs) which has already been ordered, expeditiously at any rate within three weeks from today, failing which the Secretaries of respective States shall appear in Person before this Court on the next date of hearing."

<u>आदेश दिनांक 19 नवम्बर, 2025</u>

..."2. As evident from the order, the State Government including the Union Territories as well as NCT, were directed to make payment of Rs. 10 Lakhs, failing which the Secretaries of respective States were directed to appear-in-person before this Court. ...."

List the matter on 13th January, 2026 at 02:00 PM.

5- भारत सरकार के पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अपने संगत शासनादेशों में संशोधन किया जाना है, जिससे मृत्यु के सभी प्रकरण आच्छादित हो सकें। नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं इसी प्रकृति के अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम के कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं। अतः ऐसे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में सीवर/ सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई दुर्घटनाओं के सभी मामलों में मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरणों के स्तर से भी

समुचित आदेश निर्गत करते हुए अधिनियम, 2013 के प्राविधानों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

यह भी संज्ञान में आया है कि The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की धारा-7 के उपबन्धों का जो कोई भी उल्लंघन कर रहा है, उसके विरूद्ध धारा-9 के उपबन्धों के अनुसार जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सम्बन्धित प्राधिकरण तथा जनपद स्तर से प्रश्नगत ऐक्ट की धारा-7 के उपबन्धों के उल्लंघन हेतु ऐक्ट की धारा-9 के उपबन्धों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

6- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की विभिन्न धाराओं के प्राविधानों व संगत नियमों का प्रचार-प्रसार करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही के साथ ही विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/ निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(एस0पी0 गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी, विंग, चतुर्थ तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय एवं पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., बी-912, सैक्टर-सी, महानगर, लखनऊ।
7. समस्त उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
LAKKU VENKATESHWARLU
Date: 05-01-2026
11:23:08

आज्ञा से,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।